राजस्थान सरकार

निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 16/2019/प्रा0पत्र/ निर्णय दिनांक :– 15.07.2019

अनवान

1. श्री बाबुलाल पिता रामप्रताप जी जाति ब्राम्हण उम्र 60 वर्ष निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्री मदनलाल पिता रामप्रताप जी जाति ब्राम्हण उम्र बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्री हरिबल्ल पिता रामप्रताप जी जाति ब्राम्हण उम्र बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. श्री रमेशचन्द पिता रामप्रताप जी जाति ब्राम्हण उम्र बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. श्री रामचन्द्र पिता भगवतीलाल जी जाति ब्राम्हण उम्र बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. श्री ओमप्रकाश पिता बंशीलाल जी जाति ब्रामहण उम्र बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. श्री गोपीकान्त पिता बंशीलाल जी जाति ब्राम्हण उम्र बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

   प्रार्थी सं. 2 से लगायत 7 की सहमति से जरिये अधिकृत प्रार्थी श्री बाबुलाल पिता रामप्रताप जी जाति ब्राम्हण उम्र बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

-----प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री देवीलाल पिता नाथुलाल जी जाति धाभाई उम्र बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्री पन्नालाल पिता शंकरलाल जाति रेगर उम्र बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

3. होजी रेगर पिता रूपाराम जाति रेगर उम्र बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. जयन्तीलाल पिता जोधा जी जाति बलाई निवासी संग्रामपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. देवीलाल पिता मांगीलाल जाति जोशी उम्र बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. रतनलाल पिता मांगीलाल जाति जोशी उम्र बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

-----प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज.ले.एक्ट

उपस्थित :– 01. राजेश समदानी

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम फुकिया का थड़ पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ में प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित हैं जिसके खाता नम्बर 105 आराजी नम्बर 192 रकबा 10.16 कुल किता 1 कुल रकबा 10.16 बीद्या हैं। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी होकर प्रार्थी का कब्जा कास्त हैं एवं इसका उपयोग – उपभोग भी प्रार्थी ने ही कर रखा हैं। प्रार्थी उक्त भूमि पर निर्वाध रूप से कास्त करता चला आ रहा हैं किन्तु प्रार्थी की उक्त भूमि क चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्ड्री अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण जो प्रार्थी की भूमि से लगते हुऐ पडौसी हैं हर समय फसल बुवाई एवं कटाई के सीमा संबंधी विवाद करते रहते हैं जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमों के लिये विवश होना पडता हैं। मौके पर अशान्ति रहती हैं जिससे प्रार्थी अपनी भूमि पर शान्तिपूर्वक कास्त भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि को अपना बनाकर नाजायज अतिक्रमण करने की मंशा रखता हैं एवं अनावश्यक विवाद पैदा करता हैं जबकि उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिये प्रार्थी उक्त भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। भूमि की पत्थरगढी हो जाने पर सीमा संबंधी जो विवाद हैं वह हमेशा के लिये समाप्त हो जाएगा और प्रार्थी अपनी भूमि पर शान्तिपुर्वक काश्त कर सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। विपक्षीगण को जारी सम्मन तामील हो जाने पर भी कोई जबाब पेश नहीं किया बल्कि बावजूद तामील के अनुपस्थित रहे। वकील प्रार्थी ने मौखिक रूप से निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 4 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता हैं जिस पर विपक्षी संख्या 4 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई। विपक्षीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विपक्षी संख्या 1,2,3,5,6, के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई हैं। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में बहस की विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन सीमा संबंधी विवाद करते रहते हैं। कभी प्रार्थी की भूमि को हांक लेते हैं कभी घास फसल वगैरह काट लेते हैं। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी हो जाती हैं तो सीमा संबंधी जो विवाद हैं वो हमेशा के लिये समाप्त हो जाएगा और प्रार्थी शान्तिपूर्वक उसकी भूमि का उपयोग उपभोग कर सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें तथा प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की पत्थगढी के आदेश प्रदान करावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। ग्राम फुकियाथड पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ़ की जमाबन्दी 2070 से 2073 में प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार हैं। खातेदार उसकी भूमि की पत्थरगढी करा सकता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जात हैं तथा ग्राम फुकियाथड पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ़ के खाता नम्बर 105 आराजी नम्बर 192 रकबा 10.16 कुल किता 1 कुल रकबा 10.16 बीद्या की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचना पत्र जारी कर मौके पर पत्थरगढी करा मौके परचा पेंश करें।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर
देवगढ़ जिला-राजसमन्द

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला-राजसमन्द